Local Area Engineering Organisation(LAEO)

Introduction

- ❖ योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन का गठन विभागीय पत्रांक–2570 दिनांक–03.08.2011 द्वारा किया गया था। अभियंत्रण संभाग के गठन का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय विधायकों एवं सांसदों के निधि से उनके द्वारा अनुषंसित योजनाओं का निर्माण राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने हेतु किया गया था।
- ❖ इस विभाग के अंतर्गत निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

	(योजना से संबंधित विभाग)
➢ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	योजना एवं विकास विभाग
➢ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	योजना एवं विकास विभाग
➢ सीमा क्षेत्र विकास योजना	केन्द्रीय योजना/योजना एवं विकास विभाग
➢ विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	केन्द्रीय योजना/योजना एवं विकास विभाग
➢ कब्रिस्तान घेराबन्दी	गृह विशेष विभाग
➢ मंदिर घेराबन्दी	गृह विशेष विभाग
➢ विश्व बैंक/राज्य सम्पोषित पंचायत सरकार भवन	पंचायती राज विभाग
➢ ई–किसान भवन	कृषि विभाग
➢ महादलित विकास मिशन अन्तर्गत सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड	अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण विभाग

यह संगठन मुख्य अभियंता के अधीन कार्यरत है। इस संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है :–

1.योजना एवं डिजाईन प्रबंधन (Project & Design Management)

- योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्राक्कलन तैयार करना।
- योजनाओं की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना ।
- जिनके सेड्यूल्ड दर पूर्व से निर्धारित नहीं है अथवा उनमें कुछ गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, उन सामग्रियों के लिए आवश्यकतानुसार दर विष्लेषण/बाजार दर के आधार पर दर निर्धारण करना।

2.मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण (**Human Resource & Training**)

- योजना कार्य से जुड़े प्रत्येक अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मियों की क्षमता विकास (**Capacity Building**) सुनिश्चित कराना
- आधुनिक संरचनात्मक प्रबंधन की विशिष्टताओं से कार्यरत अभियंताओं को सतत प्रशिक्षण के द्वारा उन्हे उत्कृष्ट कोटि की तकनीकी का ज्ञान उपलब्ध कराना
- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के संबंध में राज्य की जनता को जानकारी उपलब्ध कराना तथा जनता के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं उनका निराकरण कराना।

3.लेखा प्रबंधन (**Accounts Management**)

- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के प्रमंडलों में महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखापालों के माध्यम से लेखा प्रबंधन करना।
- अंकेक्षण के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण/अनुपालन कराना।

4.अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (**Monitoring & Evaluation**)

- MIS के माध्यम से योजनओं का लगातार अनुश्रवण कराना एवं इन योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के आधार पर अपना सुझाव उपलब्ध कराना ताकि सरकार/विभाग के स्तर से आवश्यकतानुसार कार्यों की गुणवत्ता के लिए नीति निर्धारित की जा सके अथवा उसमें संशोधन किया जा सके।